दैनिक भास्कर दि. 03/01/2020

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5, अरेरा कालोनी, पर्यावरण परिसर, भोपाल-16

Phone : pbx :0755-2464428, Fax : 0755-2463742

E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक/प्रनिबो/तक.प्रेा.ईपीआर/2019 भोपाल, दिनांक ....

''वैधानिक सूचना''

अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-9 के अन्तर्गत प्रोड्यूसर, ब्राण्ड ओनर तथा इम्पोटर्स द्वारा ईपीआर के प्रावधान का पालन करने बावत्

अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-9 के अन्तर्गत आने वाले प्रोड्यूसर्स, ब्राण्ड ओनर्स तथा इम्पोटर्स को नियम के अनुरूप मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन प्राप्त करते हुएं नियम में किये गये ईपीआर के प्रावधान के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट बैक सिस्टम स्थापित करना आवश्यक है। इस संबंध में दिनांक 28.12.2019 को समीक्षा कर निम्नानुसार समय-सीमा निश्चित की गई है :-

1. पंजीयन, प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा एवं कलेक्ट बैक मैकेनिज्म के संबंध में बोर्ड को दिनांक 05.01.2020 तक जानकारी उपलब्ध कराई जाये।
2. यदि नियमानुसार पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया है तो पंजीयन प्राप्त करने हेतु दिनांक 12.01.2020 तक आवेदन प्रस्तुत किये जायें।
3. प्लास्टिक अपशिष्ट कलेक्ट बैक मैकेनिज्म के अन्तर्गत पीआरओ अथवा नगरीय निकायों के साथ अनुबंध के साथ दिनांक 28.01.2020 तक अनुबंध निष्पादित किये जायें।
4. उद्योग/व्यापार संचालन के कारण मध्यप्रदेश में आने वाले प्लास्टिक वेस्ट की वार्षिक मात्रा का 40 प्रतिशत वर्ष 2019-20 हेतु दिनांक 31.03.2020 के पूर्व संग्रहण कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।
5. मध्यप्रदेश में आने वाले प्लास्टिक वेस्ट की वार्षिक मात्रा का वर्ष 2020-21 के दौरान 100 प्रतिशत संग्रहण कर उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये।

प्रदेश में कार्य करने वाले सभी प्रोड्यूसर्स, ब्राण्ड ओनर्स तथा इम्पोटर्स को सूचित किया जाता है कि उक्त समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करें, अन्यथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही हेतु बाध्य होगा।

म.प्र. माध्यम/96315/2020

सदस्य सचिव